



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 727) पटना, सोमवार, 5 अगस्त 2024

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई 2024

एस० ओ० 319, दिनांक 5 अगस्त 2024—अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्तंभ-4 में उल्लेखित पदाधिकारियों को निबंधन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

क्र०सं०	प्रमण्डल का नाम	जिला का नाम	निबंधन पदाधिकारी
1	2	3	4
1	पटना	पटना	श्रम अधीक्षक अधिनियम
		नालन्दा	श्रम अधीक्षक
		भोजपुर	श्रम अधीक्षक
		रोहतास	श्रम अधीक्षक
		कैमूर	श्रम अधीक्षक
		बक्सर	श्रम अधीक्षक
2	मगध	गया	श्रम अधीक्षक अधिनियम
		औरंगाबाद	श्रम अधीक्षक
		जहानाबाद	श्रम अधीक्षक
		अरवल	श्रम अधीक्षक
		नवादा	श्रम अधीक्षक
3	मुंगेर	मुंगेर	श्रम अधीक्षक अधिनियम
		लखीसराय	श्रम अधीक्षक
		शेखपुरा	श्रम अधीक्षक
		जमुई	श्रम अधीक्षक
		बेगूसराय	श्रम अधीक्षक
		खगड़िया	श्रम अधीक्षक

क्र०सं०	प्रमण्डल का नाम	जिला का नाम	निबंधन पदाधिकारी
1	2	3	4
4	भागलपुर	भागलपुर	श्रम अधीक्षक अधिनियम
		बांका	श्रम अधीक्षक
5	कोशी	सहरसा	श्रम अधीक्षक अधिनियम
		सुपौल	श्रम अधीक्षक
		मधेपुरा	श्रम अधीक्षक
6	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	श्रम अधीक्षक अधिनियम
		अररिया	श्रम अधीक्षक
		कटिहार	श्रम अधीक्षक
		किशनगंज	श्रम अधीक्षक
7	दरभंगा	दरभंगा	श्रम अधीक्षक अधिनियम
		मधुबनी	श्रम अधीक्षक
		समस्तीपुर	श्रम अधीक्षक
8	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	श्रम अधीक्षक अधिनियम
		वैशाली	श्रम अधीक्षक
		सीतामढ़ी,	श्रम अधीक्षक
		शिवहर	श्रम अधीक्षक
		पूर्वी चम्पारण	श्रम अधीक्षक
		पश्चिमी चम्पारण	श्रम अधीक्षक
9	सारण	सारण	श्रम अधीक्षक अधिनियम
		सीवान	श्रम अधीक्षक
		गोपालगंज	श्रम अधीक्षक

2. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाएँ निरस्त की जाती है।

3. यह सम्पूर्ण बिहार में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(सं० 01/WC-1009/2016-3969/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

25 जुलाई 2024

एस० ओ० 320-एस० ओ० 319 दिनांक 5 अगस्त 2024 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/WC-1009/2016-3970/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

The 25th July 2024

S.O. 319, dated 5th August 2024— In exercise of the powers conferred under Section 3 of Inter State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979 the Governor of Bihar is pleased to appoint the Officers mentioned in the column-4 as Registering Officers.

Sr. No.	Name of Division	Name of the Districts.	Registering Officers
1	2	3	4
1	Patna	Patna	Labour Superintendent Act
		Nalanda	Labour Superintendent
		Bhojpur	Labour Superintendent

Sr. No.	Name of Division	Name of the Districts.	Registering Officers
1	2	3	4
	Patna	Rohtas	Labour Superintendent
		Kaimur	Labour Superintendent
		Buxar	Labour Superintendent
		Kaimur	Labour Superintendent
2	Magadh	Gaya	Labour Superintendent Act
		Aurangabad	Labour Superintendent
		Jehanabad	Labour Superintendent
		Arwal	Labour Superintendent
		Nawada	Labour Superintendent
3	Munger	Munger	Labour Superintendent Act
		Lakhisarai	Labour Superintendent
		Shekhpura	Labour Superintendent
		Jamui	Labour Superintendent
4	Bhagalpur	Begusarai	Labour Superintendent
		Khagaria	Labour Superintendent
		Bhagalpur	Labour Superintendent Act
		Banka	Labour Superintendent
5	Koshi	Saharsa	Labour Superintendent Act
		Supaul	Labour Superintendent
		Madhepura	Labour Superintendent
6	Purnia	Purnia	Labour Superintendent Act
		Araria	Labour Superintendent
		Katihar	Labour Superintendent
		Kishanganj	Labour Superintendent
7	Darbhanga	Darbhanga	Labour Superintendent Act
		Madhubani	Labour Superintendent
		Samastipur	Labour Superintendent
8	Tirhut	Muzaffarpur	Labour Superintendent Act
		Vaishali	Labour Superintendent
		Sitamarhi	Labour Superintendent
		Sheohar	Labour Superintendent
		East Champaran	Labour Superintendent
		West Champarna	Labour Superintendent
10	Saran	Saran	Labour Superintendent Act
		Siwan	Labour Superintendent
		Gopalganj	Labour Superintendent

2. Previously issued notifications in this regard are hereby repealed.

3. It shall come in to force from the date of its publication in the official Gazette.

(No.- 01/WC-1009/2016-3969/L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,

RAJEEV RANJAN,

Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 727-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>